



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239247
CG-DL-E-30092022-239247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]
No. 477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/90/15-डीडी/108/2015/डीसी/796/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. एम बालसुब्रमण्यन (सदस्यता संख्या 201347), 82, जॉनपॉल स्कूल रोड, नेहरूजी नगर, डिंडीगुल (तमिलनाडु) 624 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5) और खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. एम बालसुब्रमण्यन (सदस्यता संख्या 201347) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः उसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सीए. एम बालसुब्रमण्यन (सदस्यता संख्या 201347) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22(छ) के निबंधनानुसार एक अपील फाइल की थी। अपीलीय प्राधिकरण ने अपील सं. 03/आईसीएआई/2022 में अपने तारीख 21 जून, 2022 के आदेश द्वारा अनुशासन समिति के तारीख 10 फरवरी, 2020 के निष्कर्षों तथा तारीख 17 सितंबर, 2020 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

तदनुसार, तारीख 3 सितंबर, 2021 की उस अधिसूचना, जिसके द्वारा सीए. एम बालसुब्रमण्यन (सदस्यता संख्या 201347) का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, वापस लिया जाता है।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./299/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/90/15-DD/108/2015/DC/796/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347), 82, Johnpaul School Road, Nehruji Nagar, DINDIGUL (Tamilnadu) 624 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses ((5) & (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 the name of said **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347), was removed from the Register of Members for a period of 06(six) months with effect from 3rd September, 2021.** Aggrieved by the Order of the Committee, the Respondent approached the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949. The Appellate Authority vide its order dated 21st June, 2022 in Appeal no. 03/ICAI/2022 has set aside the Findings dated 10th February, 2020 and Order dated 17th September, 2020 passed by the Disciplinary Committee. Accordingly, the notification dated 3rd September, 2021, wherein the name of **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347)** was removed from the Register of Members stands **withdrawn.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./299/2022-23]